महत्वपूर्ण

संख्या–1352बी/क0नि0–6–2017

प्रेषक,

अमृत त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन अनु0–6 लखनऊ दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषय : फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत रिस्ट्रक्चर्ड, मृतक, तथा अनुपलब्ध शपथ पत्र वाले प्रकरणों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में जनपद स्तर पर रिस्ट्रक्चर्ड, मृतक,तथा अनुपलब्ध शपथ पत्र विषयक वाले प्रकरणों के संबंध में जनपदों से कतिपय पृच्छायें प्राप्त हो रही है। इन पृच्छाओं के संबंध में शासनादेश सं0: 134(बी)/01(बी)सं0वि0क0नि0–6/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरणों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. रिस्ट्रक्चर्ड ऋण खातों के संबंध में– डी0एल0सी0 द्वारा ऐसे खातो को अर्ह घोषित किए जाने के समय निम्न प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाएं तथा उनको डिमाण्ड जनरेशन के समय पोर्टल पर अपलोड किया जाय:–

(अ) जिलाधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रदान करेंगे कि मोचन हेतु विचाराधीन रिस्ट्रक्चर्ड खातों की रिस्ट्रक्चरिंग किए जाने के समय जनपद में प्राकृतिक आपदा घोषित थी।

(ब) संबंधित बैंक से रिस्ट्रक्चर्ड खातों के संबंध में खातावार इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये कि संबंधित खाते (खाता सं0) की रिस्ट्रक्चरिंग बैंक द्वारा प्राकृतिक आपदा के संबंधी आरबीआई के तत्समय प्रभावी दिशा–निर्देश (दिशा–निर्देश की संख्या) के अनुसार की गयी है।

2. मृतक किसानों के ऋण खातों के संबंध में– इस विषयक पूर्व में निर्गत कृषि अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 29 जुलाई, 2017 के प्रस्तर–3 में व्यवस्था पहले से ही उल्लिखित है। मृतक किसान के एक से अधिक उत्तराधिकारी होने की स्थिति में ऋण मोचन के संबंध में कृषि विभाग द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किए जायेंगे। ऐसे प्रकरणों में तृतीय चरण में निर्णय लिये जाने की बाध्यता नहीं होगी, परन्तु जैसे ही प्रकरणों

का निस्तारण होता जाए वैसे ही उस पर जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति देने की कार्यवाही की जाती रहेगी।

3. **अनुपलब्ध शपथ पत्र वाले किसानों के संबंध में**– ऐसे प्रकरणों के संबंध में जिलाधिकारी विशेष अभियान चलाकर पूर्व में इस विषयक राजस्व परिषद के परिषदादेश के अनुसार समस्त संबंधित से शपथ पत्र प्राप्त करने की आवश्यक कार्यवाही शीर्घ कराना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त योजना में विहित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल पर पात्र किसानों को संस्तुत करने की कार्यवाही करें। ऐसे प्रकरणों पर भी तृतीय चरण में निर्णय लिये जाने की बाध्यता नहीं होगी परन्तु जैसे ही प्रकरणों का निस्तारण होता जाए वैसे ही उस पर जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति देने की कार्यवाही की जाती रहेगी।

4. उक्त के दृष्टिगत अब मृतक एवं अनुपलब्ध शपथ पत्र वाले प्रकरणें में पोर्टल पर जिला स्तरीय समिति के लॉग–इन पर तृतीय चरण में Decision Awaited का विकल्प दिया जायेगा। तद्नुसार उक्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि योजनान्तर्गत उक्त बिन्दुओं में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमृत त्रिपाठी)
विशेष सचिव

संख्या–1352 बी(1)/क0नि0–6–2017/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व/सूचना/आईटी इलैक्ट्रोनिक्स विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि/कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव